समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (म0प्र0)

राजस्व निगरानी क्रमांक /2011-12

विलोपित विलोपित विलोपित

दरबारीलाल तेली तनय स्व. श्री हल्के तेली उम्र 40 वर्ष पेशा काश्तकारी निवासी ग्राम पहाड़ी खेरा जिला पन्ना म0प्र0 .... आवेदक/निगराकार

बनाम्

1. कन्छेदी तेली तनय स्व. श्री जुगुनुआ तेली पेशा काश्तकारी निवासी ग्राम पहाड़ी खेरा जिला पन्ना म0प्र0
2. पटवारी हल्का कौहारी जिला सतना म0प्र0 .... अनावेदक/गैरनिगराकार

R 2523-I/12

प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 8/8/12

राजस्व निगरानी हस्व धारा 50 का0म0 म0प्र0 विरूद्ध पारित सीमांकन आदेश श्रीमान तहसीलदार मझगवां वृत्त बरौंधा दिनांक 11.04.2012 राजस्व प्रकरण क्र. 8अ/2011-12 कन्छेदी तेली विरूद्ध शासन म0प्र0

मान्यवर,

आवेदक निम्न आधारों के साथ निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनयी है :-

प्रकरण के तथ्य :-

1. यह कि संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा झाली वृत्त बरौंधा जिला सतना म0प्र0 में स्थिति आराजी नं. 18 रकवा 56 बिघा के अंश भाग 3.641 हेक्टेयर एवं आराजी नं. 67 रकवा 9 बिघा जो पवाई की आराजी थी जिसे आवेदक के पूर्वज स्व. मत्ती उर्फ मताइया तेली पवाइदार श्री अमान ब्राम्हण से उक्त आराजी जरिये लगान प्राप्त कर दर पुस्त दर काबिज रहे उनके मरने के बाद उसके पुत्रगण श्री हल्के तेली, चुनवाद तेली एवं जुगुनुआ तेली काबिज हुए जिन्होने उक्त आराजी के साथ साथ अन्य आराजी के संबंध में धारा 190 का0म0 म0प्र0 के तहत कार्यवाही राजस्व न्यायालय में करते हुए भूमि स्वामी पट्टेदार हो गये थे उनके स्वर्गवासी होने पर उनके पुत्र आवेदक एवं अनावेदक क. 1 काबिज एवं भूमिस्वामी हुए। किन्तु जब उक्त आराजी का पट्टा आवेदक व अनावेदक के पूर्वजों के नाम पर किये जाने का आदेश हो गया आदेश की इत्लाबी के पूर्व ही पवाइदार के नजदीकी रिश्तेदारान लड़की के लड़कों यानि नातियों द्वारा एक फर्जी वसीयतनामा पवाईदार के नाम से तैयार करते हुए उक्त आराजी के स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का व्यवहार वाद वर्ष 1991 में चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 सतना के न्यायालय में आवेदक एवं अनावेदक क. 1 व अन्य भाइयों के व पूर्वजों के विरूद्ध दायर किया जिसका निराकरण वर्ष 1992 को होकर दावा वादीगण निरस्त किया जाकर उक्त आराजी पर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—2523—एक / 2012 जिला—सतना

दरबारीलाल तेली विरूद्ध कन्छेदी तेली व पटवारी हल्का कौहारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
01—03—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी तहसीलदार मझगवां वृत्त बरौंधा, जिला—सतना के प्रकरण क्रमांक 08 / अ—12 / 2011—12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 11—04—2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 02—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 01.3.19	